[16/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 4649]

परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने का दिनांक 16.03.2021

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4649 - माननीय विधायक श्री जुगुल किशोर बागरी

पत्र में उल्लेखित बिंदु	कार्यवाही का विवरण
सेवा निवृत्त कर्मचारियों को छठवें एवं सातवे वेतनमान के लाभ दिनांक 01.04.2018 के स्थान पर 01.01.2016 से दिये जाने एवं शेष 27 माह का एरियर्स भुगतान करने का आदेश दिये जाने संबंधी।	सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्त कार्मिकों को 27 माह के ऐरियर्स के संबंध में लेख है कि म.प्र. शासन वित्त विभाग, भोपाल द्वारा तत्संबंध में जारी आदेश क्रमांकएफ 9/2/2018/नियम/चार दिनांक 11 जून 2018 को कंपनी द्वारा आदेश क्रमांक 5741 दिनांक 24.08.2018 से यथावाश्यक संशोधन सहित ग्राहय किया गया है । तदानुसार दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है ।
सेवानिवृत्त पेंशनर एवं उनके आश्रितों को प्रतिमाह 500 रूपए चिकित्सा भत्ता दिये जाने, विद्युत कंपनियों के निजीकरण न किये जाने इत्यादि मांगों के संबंध में लिखा गया है	ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।
विद्युत मंडल एवं उसकी सभी उत्तरवर्ती कंपनियों के पेंशनर के लिए बनाए गए पेंशन ट्रस्ट में कंपनियां निर्धारित मासिक राशि फंड जमा नहीं किए जाने के संबंध में	प्रत्येक वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 करोड़ रूपये कुल 25 करोड़ रूपये पेंशन ट्रस्ट में जमा किये गये हैं।
5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता संबंधी आदेश	म.प्र. शासन द्वारा 5 प्रतशित मंहगाई भत्ता संबंधी आदेश जारी किये जाने पर कंपनी द्वारा तदानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
सन् 2000 से 2013 तक मृतक कर्मचारियों को बीमारी आदि से मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने	इस संबंध में कंपनी में वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 प्रचलित है, जिसमें दिनांक 15.11.2000 से 10.04.2012 तक केवल दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, तदानुसार कार्यवाही की जा रही है । सेवानिवृत्त कार्मिकों के भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन एवं अन्य स्वत्वों के भुगतान की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है ।
स्व. श्री कन्छेदीलाल कुशवाहा, सहायक लाईनमैन की मृत्यु उपरांत पेंशन प्रदाय करने की मांग की गई है ।	स्व. श्री कन्छेदीलाल कुशवाहा, सहायक लाईनमैन सी.पी.एफ. के सदस्य थे एवं ट्रेड (स्थापना) श्रेणी में पदस्थ रहते हुये दिनांक 22.10.1981 को दिवंगत हुये थे । इनकी पत्नी को परिवार पेंशन की पात्रता नहीं है तथा पत्नी को ग्रेच्युटी एवं सी.पी.एफ. राशि का भुगतान जुलाई 1985 में किया जा चुका है। इनके आश्रित पुत्र श्री मुन्नीलाल कुशवाहा को अनुकंपा नियुक्ति भी तत्समय प्रदान की गई है ।
श्री अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा, सहायक लाइनमेन के परिवार को पेंशन प्रदाय करने की मांग की गई है ।	श्री अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा, सहायक लाइनमेन की दिनांक 09.09.2012 को ग्राम माधोपुर एवं वितरण केन्द्र अंजनिया जिला मण्डला से गुम होने के संबंध में प्रकरण थाना अंजनिया में क्र. 1076 दिनांक 20.09.2012 के गुमशुदा क्र. 112 पर रिपोर्ट दर्ज है । गुमशुदा/लापता कर्मचारी/पेंशनर के परिवार को सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में पूर्ववर्ती मंडल द्वारा परिपत्र क्र. 01-13/03 दिनांक 17.01.1994 जारी किया गया है, जिसमें वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापनों को मंडल द्वारा दिनांक 03.08.1989 से ग्राहय किया गया है। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार समयावधि व्यतीत होने पर परिवार द्वारा गुमशुदा व्यक्ति के न मिलने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं परिवार के द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार पेंशन आदि देय भुगतानों किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में श्री अवधेश प्रसाद विश्वकर्मा के परिवार द्वारा वांछित दस्तावेज/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में उनके परिवार द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

- कंपनी स्तर की मांगों पर की गई कार्यवाही से म.प्र.विद्युत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ को म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पत्र क्र. 1983 दिनांक 26.02.2021 से अवगत कराया गया है ।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल